प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 412/2023

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. सन्तोष पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरी देवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 07.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 97/94 की कुल 11. 2800 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 197/166 के खसरा नं. 295 की 5.1970 है0 भूमि में से 1/4 भूमि मृतक भगवानाराम पुत्र रतीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भगवानाराम पुत्र रतीराम के नाम दर्ज राजसव रिकार्ड है। भगवानाराम पुत्र रतीराम का देहांत हो चुका है। भगवानाराम पुत्र रतीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 है जो उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible] के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग [illegible] प्रतिवादीया संख्या 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं [illegible] उपरोक्त भूमि में वादी [illegible] वादी संख्या 1 ता 2 तीनो ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी [illegible]यालय से घोषणा कर[illegible] का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा रेखमालिया जमाबंदी सम्वत 2070—73, खाता स0 97 प्रदर्श—1, रोही मौजा बालासर सम्वत 2070—2073 खाता स0 197 प्रदर्श—2, मृत्यु प्रमाण पत्र भगवानाराम प्रदर्श—3, वारिसनामा प्रदर्श—4 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष—2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की भगवानाराम पुत्र रतीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है भगवानाराम पुत्र रतीराम का देहान्त हो चुका है। भगवानाराम पुत्र रतीराम के देहान्त के बाद उनके वारिस वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने पक्षकारान को सुना व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 97/94 की कुल 11.2800 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 197/166 के खसरा नं. 295 की 5.1970 है0 भूमि में से 1/4 भूमि भगवानाराम पुत्र रतीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भगवानाराम पुत्र रतीराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसानाम एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है प्रतिवादीया स0 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 97/94 की कुल 11.2800 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 197/166 के खसरा नं. 295 की 5.1970 है0 भूमि में से 1/4 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतक भगवानाराम पुत्र रतीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनो को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 7/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भंगुली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 412/2023

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. सन्तोष पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरी देवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 412 सन 2023 निर्णय दिनांक 07.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 97/94 की कुल 11.2800 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 197/166 के खसरा नं. 295 की 5.1970 है0 भूमि में से 1/4 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतक भगवानाराम पुत्र रतीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनो को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 7/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भंगुली